



UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

## उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

पो०आ०० गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

सहायक सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) परीक्षा—2014

विज्ञापन संख्या –ए–२/ई–१(ए.आर.आई.)/2014–15

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 10 दिसम्बर, 2014

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि – 25 दिसम्बर, 2014 (समय रात्रि 11:59:59)

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि – 29 दिसम्बर, 2014

ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट अनिवार्य अहंता प्रमाण पत्रों तथा बैंक शुल्क की रसीद सहित

आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि – 06 जनवरी, 2015 (सायं 05:00 बजे तक)

वेबसाइट—[www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) Toll Free No. 18001804143

दूरभाष : 01334-242331, 242332

### अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1— अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट्रॉयाचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2— आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

3— अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 तक अनिवार्य शैक्षिक अहंताएं एवं अन्य अहंताएं अवश्य धारित करते हों।

4— ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अहंता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 06 जनवरी, 2015 तक आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। उक्त प्रिंटआउट की एक प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

5— फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

6— ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अहंता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7— आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाति अध्ययन कर लें तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें।

8— प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

10— आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा “Online application” प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र “Submit” बटन को “Click” करने पर ही “Online application” प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

11— अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि तक का इंतजार न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

12— अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-1, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-2 तथा अनुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट-3 का अवलोकन करें।

सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा—2014 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 25 दिसम्बर, 2014** तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु हरिद्वार नगर में लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर, मैरिट के अनुसार किया जायेगा। आवेदन पत्रों की अत्यधिक संख्या होने की स्थिति में रक्कीनिंग परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में सूचना यथासमय समाचार पत्रों व आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। परीक्षा योजना एवं परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध कराया गया है।

## **2. रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—**

**वेतनमानः— 9300—34800 G.P- 4200**

क्र0सं0	विभाग	पदनाम	रिक्तियां	श्रेणीवार विवरण			
				GEN	SC	ST	OBC
1.	परिवहन विभाग	सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	11	05	04	00	02

- नोट—** (1) रिक्तियों की कुल संख्या 11 हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।  
(2) विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही विशेष अपील संख्या 394/2013 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग बनाम प्रदीप सिंह रौथाण व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

**3. पद का स्वरूप :-** अराजपत्रित /अंशदायी पेंशन।

**4. (1) अर्हता :-**

**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता—** (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक (मैकेनिकल) या ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) किसी प्रतिष्ठित वृहत कार्यशाला में, जहां डीजल तथा पेट्रोल इंजिनयुक्त हल्के एवं भारी वाहनों (यात्री वाहनों सहित) की मरम्मत आदि से सम्बन्धित कार्य होता हो, कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी मोटर साईकिल, माल वाहन एवं यात्री वाहन चलाने का लाईसेंस धारक हो।

(ङ.) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।

**नोट :-** 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट—3 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

2. अनुभव की गणना UK PSC (Procedure & conduct of Business) Rules - 2013 के नियम 21(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही की जायेगी।

**अधिमानी :-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—  
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या  
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

**(2)** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 04 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का पद समूह 'ग' से संबंधित है जिसके लिए उक्त नियमावली के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है परन्तु शासन के पत्रांक 1097/XXX (2)/2011 दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ‘जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है’ उनके लिए पंजीकरण की

आवश्यकता नहीं हैं, इसी प्रकार शासन के पत्रांक 809 / XXX (2) / 2010-3(1) दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार 'जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।

**नोट:-** (1) विज्ञापन के परिशिष्ट-3 के प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) आवेदन पत्र में पंजीकरण से संबंधित कॉलम में स्पष्ट सूचना भरें तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रिंट-आउट प्रति के साथ प्रस्तुत करें। यदि राज्याधीन सेवा में हैं, तो नियुक्ति पत्र/विभाग का प्रमाण पत्र प्रिंट-आउट प्रति के साथ प्रस्तुत करें।

**5. आयु :-** आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। इस तिथि को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1972 से पूर्व 1 जुलाई, 1993 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

**6. अधिकतम आयु सीमा में छूट:** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय—समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**नोट:-** उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों हेतु अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष लम्बित रिट पिटीशन (PIL) संख्या- 67 / 2011 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

7. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

8. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

9. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के “परिशिष्ट-2” में उल्लिखित हैं।

**10. राष्ट्रीयता :** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केन्या, उगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप—महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त में रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणी :-** ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**11. चरित्र :-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी :-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या किसी निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**12. वैवाहिक प्रास्थिति :-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**13. शारीरिक स्वस्थता :-** किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में समाविष्ट मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

**14. आवेदन कैसे करें :-** इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं—

आनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	25 दिसम्बर, 2014
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि	29 दिसम्बर, 2014
ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट समस्त अनिवार्य अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	06 जनवरी, 2015

**15. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-**

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर जाएं।

(2) वेबसाइट पर “Examination” शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन **New User Sign Up** में प्रवेश करें।

(3) लिंक बटन “New User Sign Up” के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन **New Registration** दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त **Submit** करें।

(4) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नम्बर/ईमेल पर User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु “Examination” शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन  द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन  को खोले।

(6) ऑनलाइन आवेदन हेतु A.R.I. EXAMINATION–2014 के सम्मुख “Click Here” पर Click करें।

(7) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को  सावधानीपूर्वक जॉच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में  पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में  पर Click करें।

(9) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी  पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में  पर Click करें।

(11) “आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है”, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर इस प्रिन्ट आउट की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा प्रिन्टआउट की एक प्रति के साथ अनिवार्य अहता के प्रमाण पत्र एवं बैंक शुल्क की रसीद संलग्न कर डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक ..... सांय 06.00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करायें।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान का प्रिंटआउट निकाल लें।

(13) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

16. शुल्क :— अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा :—

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	रु0 150/-
02	अनुसूचित जाति (एस0सी0)/अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)/ विकलांग/पूर्व सनिक	रु0 60/-

उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

नोट :— आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

## 17. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 यथा संशोधित 2013 (प्रथम संशोधन) व 2014 (द्वितीय संशोधन) आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र आवश्यक है। कक्ष निरीक्षक के मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(5) साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी दावों का मूल प्रमाण पत्रों से परीक्षण किया जायेगा यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(8) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा सहित भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

(9) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(10) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा।

अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था, जिसके आधार पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(11) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(12) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(13) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उनके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(14) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(15) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पत्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(16) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(20) परीक्षा भवन में आचरण :- परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को भी परेशान नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(21) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।

(22) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(23) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय-समय पर अनुश्रवण करते रहें।

(24) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(25) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :—1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०एम०आर० उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(26) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण—पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण—पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ परिशिष्ट-2 में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(27) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(28) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश—पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(29) न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 (प्रथम संशोधन—2013 एवं द्वितीय संशोधन—2014) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(30) लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

(31) चयन/चयन परिणाम तैयार करने की कार्यवाही सेवानियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(एस0एन0 पाण्डेय)  
सचिव।

## परिशिष्ट-1

सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा-2014

परीक्षा योजना – प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं—

क्रमांक	परीक्षा	पूर्णांक
(क)	लिखित परीक्षा	150
(ख)	प्रायोगिक परीक्षा	100
(ग)	व्यक्तित्व परीक्षा	35

### परीक्षा पाठ्यक्रम

(क) लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे :—

(1) **प्रथम प्रश्न-पत्र**— राजमार्ग कोड, मोटर वाहन अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली से संबंधित। (पूर्णांक 50, समय— 2 घन्टे)

(2) **द्वितीय प्रश्न-पत्र**—निम्नलिखित विषयों पर आधारित—

1. मोटर यातायात वाहनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव।
2. सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कारक।
3. यातायात वाहनों की आधुनिक प्रथम व द्वितीय लाईन मरम्मत।
4. पैट्रोल व डीजल से चालित इंजिनों की यंत्रावली व कार्यप्रणाली।
5. सेवा परीक्षण एवं माडल नित्यक्रम परीक्षण।

(पूर्णांक 100, समय— 3 घन्टे)

(ख) मोटरों पर एक प्रायोगिक परीक्षा—

(पूर्णांक 100)

प्रायोगिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा—

I. The Practical examination will have following three components :-

- 1- Driving test on heavy vehicle as per the provisions of Motor Vehicle Act.

(40 Marks      30 Minutes)

Driving Test:-

Expert committee should observe and evaluate the candidates for their compliance to

- |  |          |
|--|----------|
| (i) Precautions method before driving  | 10 Marks |
| (ii) Precautions method during driving | 20 Marks |
| (iii) Precautions method after driving | 10 Marks |

Total = 40 Marks

2- Dismantling and Assembling of different components using proper tools and following proper safety procedures. (40 Marks      2 Hours)

For the dismantling and assembling of different components, a complete written record of each of the activity will be recorded by the candidate. The record will consist of-

- (i) Observations of the defective part,
- (ii) Diagnosis and fault finding ,
- (iii) Remedial measures.

The record will be evaluated by the expert committee. Each candidate will be assigned individual job.

3- Viva and general awareness skill and knowledge and competence of candidates about motor vehicles. (20 Marks      30 Minutes)

(ग) व्यक्तित्व परीक्षा—

(पूर्णांक 35)

## परिशिष्ट—2

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण—पत्रों के प्रपत्र।

### प्रमाण—पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....  
 ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।  
 श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....  
 दिनांक : पूरा नाम .....  
 मुहर : पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/  
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण—पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
 तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की .....  
 ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या—22/16/92—का—2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....  
 .....तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में  
 सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....  
 दिनांक : पूरा नाम .....  
 मुहर : पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/  
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/  
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

## उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिये प्रमाण—पत्र

(केवल शास0 सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0-776/xx(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0-637/xx(4)-26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अई सेवायोजन हेतु चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए )

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... शास0  
सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0-776/xx(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0-637/xx(4)-26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिह्नित है।

स्थान : हस्ताक्षर .....  
दिनांक : पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/  
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/  
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र<sup>शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997</sup>  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
**प्रमाण—पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश  
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपर्युक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर .....  
दिनांक : पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी .....  
(सील) .....

## निःशक्तता प्रमाण – पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता  
प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....

### निःशक्तता प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0 ..... आयु..... लिंग.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता  
पहचान चिन्ह..... से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमरित्स्थीय पक्षाधात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

- (क) दुर्बल पहुँच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विघ्रम (अटैकिस्स)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

- (क) दुर्बल पहुँच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विघ्रम (अटैकिस्स)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
- (ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी–बधिर
- (ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- |  |          |
|--|----------|
| (i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।              | हॉ/ नहीं |
| (ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।    | हॉ/ नहीं |
| (iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।                 | हॉ/ नहीं |
| (iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                          | हॉ/ नहीं |
| (vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।                        | हॉ/ नहीं |
| (vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हॉ/ नहीं |
| (viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।               | हॉ/ नहीं |
| (ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                       | हॉ/ नहीं |
| (x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।             | हॉ/ नहीं |
| (xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।   | हॉ/ नहीं |

.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)

सदस्य सदस्य सदस्य

चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड

\* जो लागू न हो काट दें।

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्ययक्ष द्वारा  
विधिवत प्रमाणित  
उम्मीदवार का हाल  
का फोटो जो  
उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता  
हो।

परिशिष्ट-3

**FORMAT**

**Experience Certificate**

<b>Logo of Office (If available)</b>	<b>Name of Deptt./Office :</b> ..... <b>Address of Deptt./Office :</b> ..... <b>Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust :</b> ..... <b>Telephone No :</b> ..... <b>Website :</b> .....
--------------------------------------	---

Ref. No. –

Date :.....

This is certify that Shri/Smt./Km. ..... son/Daughter/Husband of Shri..... is an employee of this Department/ Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust and duties performed by him during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent-Regular/Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/ Technical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch of others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/University.

Date :

Place

Sign.....

(Name & Signature of Authorized  
Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :